न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 149/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/871
आरआरसीएमएस न 20260112560013

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1.फरीदा बानो पुत्री मेना पिता युसुफ जाति तेली मुसलमान निवासी पीपाड शहर तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर		1.भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय पीपाड़शहर जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता : दर्ज दिनांक :–23.12.2025
श्री जितेन्द्र कच्छावाहा वादीगण की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

''आदेश'' दिनांक : 27/04/2026

वादीनी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चिरडाणी पटवार क्षेत्र चिरडाणी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 1071 क्षेत्रफल 2.1013 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 85 व पूराना 85 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त वादग्रस्त आराजी की सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2081 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। इसी प्रकार ग्राम पीपाड शहर पटवार क्षेत्र पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 3154 क्षेत्रफल 3.9826 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 963 व पूराना 980 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त वादग्रस्त आराजी की सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2081 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम चमन व चमन बानु अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादिनी का सही व वास्तविक नाम फरीदा बानो है। वादिनी के आधार कार्ड, वोटर आईडी, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, जॉबकार्ड, बैंक डायरी में वादिनी का सही नाम फरीदा बानो अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें की वादिनी अधिकारी है। यह है कि वादिनी द्वारा दिनांक 11.12.2025 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादिनी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादिनी के पास विकल्प नही है इसलिए वादिनी का उक्त वाद वास्तें सही नाम चमन व चमनबानु के स्थान पर फरीदा बानो किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम चिरडाणी पटवार क्षेत्र चिरडाणी तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 1071 क्षेत्रफल 2.1013 हेक्टेयर किस्म बारानी व ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नबंर 3154 क्षेत्रफल 3.9826 हेक्टेयर किस्म बारानी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम चमन व चमनबानु के स्थान पर फरीदा बानो घोषित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादीनी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकार तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा संख्या 1071 में वादीनी का नाम चमन एवं राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 3154 में वादीनी का नाम चमनबानु के स्थान पर फरीदा बानो किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वादीनी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस पर वादीनी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम चिरढ़ाणी के खसरा संख्या 1071 में वादीनी का नाम चमन एवं राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 3154 में वादीनी का नाम चमनबानु के स्थान पर फरीदा बानो दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर करे।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 27/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)